



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.01.2023

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली सफलता, थाना भोगनीपुर पुलिस की कार्यवाही से 24 घंटे के अन्दर हत्या की घटना कारित करने वाले 03 नफर नामजद अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।
- 24 घंटे के अन्दर हत्या की घटना कारित करने वाले 03 नफर नामजद अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्तगणों की निशादेही पर 03 अदद लकड़ी के डन्डे बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर तनु उपाध्याय के नेतृत्व में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 18/19.01.2023 की रात्रि में थाना भोगनीपुर क्षेत्र में स्थित सेवक बिक्र फील्ड ग्राम उमरिया में कच्ची ईंट बनाने का कार्य करने वाले 02 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान गोविन्द नारायण अहिरवार पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्राम आटा थाना आटा जिला जालौन की मृत्यु हो गयी थी व कल्लू व सूरज पुत्रगण चन्द्रशेखर निवासीगण ग्राम आटा थाना आटा जिला जालौन घायल हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी सूरज अहिरवार पुत्र चन्द्रशेखर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर में मु0अ0सं0 22/2023 धारा 302/323/504 भादवि बनाम 03 नफर नामजद पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में सभी नामजद अभियुक्त फरार थे। जिनको मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 20.01.2023 को अमरौधा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर 03 लकड़ी के डन्डे बरामद किये गये हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी।

पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि साहब दिनांक 18.01.2023 को हम लोगों ने भट्टे की लकड़ी/डण्डो से एक व्यक्ति गोविन्द नारायण जो कि मेरे ही गाँव का था जिसकी हत्या कर दी थी तथा उसके दो भाइयों को घायल कर दिया था आज हम लोग बाहर जाने करे लिये वाहन का इन्तजार कर रहे तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. कल्लू पुत्र हरचरन निवासी इटौरा रोड कस्बा व थाना आटा जनपद जालौन।
2. छोटे सिंह पुत्र गंगाचरन निवासी पानी की टंकी के पास कस्बा व थाना आटा जनपद जालौन।
3. महेश पुत्र कल्लू निवासी इटौरा रोड कस्बा व थाना आटा जनपद जालौन।

बरामदगी -

- 03 अदद लकड़ी के डन्डे।

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-611/2015 धारा- 13 जुआ अधिनियम थाना आटा जालौन

पुलिस टीम का विवरण-

- नि0 श्री अजय पाल सिंह प्रभारी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- उ0नि0 श्री चिन्तन कौशिक थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह राजावत थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- हे0का0 71 अवधेश कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- हे0का0 402 तेज बहादुर सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।
- म0का0 16 दीपा बादाम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।